

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय-आदेश

प्रपत्र-6

श्री पुरुषोत्तम व्यास प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवराय पाटन बून्दी में कार्यरत है, जिनकी जन्म तिथि 02.07.1955 है, जो दिनांक 31.07.2015 को अधिवार्षिकी आयु उपरान्त सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री पुरुषोत्तम व्यास के विरुद्ध आज तक:-


- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


सयुक्त निदेशक, (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर

कमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/ए-5/पुरुषोत्तम/14-15
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक-29-8-16

- 1-सयुक्त निदेशक, पेशन विभाग कोटा।
- 2-उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कोटा।
- 3-उप निदेशक माध्यमिक कोटा।
- 4-जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बून्दी।
- 5-संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6-निजि/गार्ड पंजिका


सयुक्त निदेशक, (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री नन्द किशोर नागर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिपुरामांझी कोटा जिनकी जन्मतिथि 14-07-57 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 15-11-79 हैं, ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 01-10-16 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है। श्री नन्द किशोर नागर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिपुरामांझी कोटा राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50 (1) के प्रावधानानुसार 45 वर्ष की आयु एवं 15 वर्ष की योग्य सेवा दोनो ही शर्ते पूर्ण करते है।

श्री नन्द किशोर नागर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिपुरामांझी कोटा राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 01-10-16 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।




निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 29-8-16

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/ए-6/नन्द किशोर/15-16

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सुघनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 01- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग कोटा
- 02- उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कोटा
- 03- उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा कोटा
- 04- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा
- 05- श्री नन्द किशोर नागर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिपुरामांझी कोटा
- 06- प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिपुरामांझी कोटा
- 07- प्रभारी बी-1/11/11
- 08- निजि/रक्षित प्रत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय-आदेश

प्रपत्र-6

श्री राकेश कुमार गोयल प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झरखेडी बारा में कार्यरत हैं, जिनकी जन्म तिथि 10.06.1957 है, जिनका दिनांक 23.04.2015 को राज्य सेवा में रहते हुये स्वर्गवास हो चुका है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री राकेश कुमार गोयल के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



सयुक्त निदेशक, (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/ए-6/राकेश कुमार गोयल/16

दिनांक- 29-8-16

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1-सयुक्त निदेशक, पेशन विभाग कोटा।
- 2-उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग कोटा।
- 3-उप निदेशक माध्यमिक कोटा।
- 4-जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बारा।
- 5-संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6-निजि/गार्ड पंजिका


सयुक्त निदेशक, (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर